संख्या:7/2019/154/48-2019-16(विविध)/2017

प्रेषक,

राकेश मोहन चौधरी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2019

विषय: जनपद कौशाम्बी के तहसील सिराथू परगना कड़ा ग्राम-न्यामतपुर में पूर्व आवंटित भूमि के स्थान पर तहसील-मंझनपुर, परगना-करारी, ग्राम-पाता गाटा संख्या-103/2536 क्षेत्रफल 0.285 हेक्टेयर भूमि पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कौशाम्बी के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृह का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8002/स0प0-प्लान/कौशाम्बी /2874, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 एवं पत्र सं0 8002/स0प0-प्लान /कौशाम्बी/ 738 दिनांक 18.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-कौशाम्बी के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृह के निर्माण हेतु रू0 246.17 लाख का आगणन प्राप्त हुआ था जब कि वर्तमान में रू0 232.99 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है। उक्त आगणन यू0पी0 सिडको (यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0)द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तैयार किया गया था। आपके उक्त पत्र सं0-8002/स0प0-प्लान/कौशाम्बी/738 दिनांक 18.03.2019 से यह स्पष्ट है कि जनपद कौशाम्बी के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृह हेतु नामित कार्यदायी संस्था पैकफेड, यू0पी0 सिडको (यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0) द्वारा बनाये गये आगणन के आधार पर कार्य करने हेतु सहमत है।

3. तत्क्रम में जनपद कौशाम्बी के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृह के नवनिर्माण कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0 सिडको के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में प्रविधानित धनराशि रू0 550.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 125.00 लाख (रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रथम किश्त के रूप में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-426/48-2018-16(विविध) /2017 दिनांक 27.06.2018 में विनिर्दिष्ट शर्तें यथावत रहेगी ।

4. उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-87-लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-09-जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के भवन एवं विश्रामगृह का निर्माण -24-बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,
राकेश मोहन चौधरी
अनु सचिव।

संख्या: 154 (1)/48-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जिलाधिकारी, कौशाम्बी ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
6. महानिदेशक, पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, आर0के0पुरम नई दिल्ली।
7. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
8. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कौशाम्बी ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश मोहन चौधरी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।